

उत्तर पश्चिम रेलवे



प्रधान कार्यालय

जयपुर

आर.बी.ई.सं.

148/2014

दिनांक

6/1/2015

सं. 143-E/01/CR

मण्डल रेल प्रबंधक/कार्मिक- जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
मुख्य कारखाना प्रबंधक- अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक- अजमेर, जोधपुर
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण- जयपुर
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रका.-जयपुर
सचिव/महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक /सतर्कता प्रका.- जयपुर
मुख्य राजभाषा अधिकारी/प्रका.- जयपुर
अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड- अजमेर
प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान- उदयपुर
प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र- जोधपुर
उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.- जयपुर
सहायक सचिव/गोपनीय - महाप्रबंधक प्रका.- जयपुर
मुख्य खजांची रोकड एवं वेतन विभाग प्रका.- जयपुर
निजी सचिव/महाप्रबंधक, वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.- जयपुर.

विषय :- Introduction of Provision for writing of ADAR of all
Railway employees working in DB-15200-20200, G.P.R.
1900 - Regarding.

संदर्भ :- Railway Boleo E(No.) 1-2013/CR/1 [dt. 30/12/14]

रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि. 30/12/14 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही, मार्ग दर्शन एवं सूचनाएँ प्रेषित की जा रही हैं।

सलम- यथोक्त।


प्रतिलिपि-

1. महासचिव- एनडब्ल्यूआरईयू 15 प्रतियों।
2. महासचिव- यूपीआरएमएस 15 प्रतियों।
3. महासचिव- एससी/एसटी एसो. 15 प्रतियों।
4. महासचिव- ओबीसी एसो. 05 प्रतियों।
5. महासचिव- पदोन्नत अधिकारी एसो. 15 प्रतियों।

(S/O/9 04/14)
मुख्य महाप्रबंधक/कार्मिक

6/1/15

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS-(RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)



Handwritten notes: "Dy CP (IR)", "cost EP", and a signature.

No.E(NG)I-2013/CR/1

New Delhi dated 30/12/2014

Handwritten note: "NCR"

The General Managers(P)
All Indian Railways & Production Units etc.
(As per standard list).

Sub: Introduction of provision for writing of APAR of all Railway employees
Working in PB-I, 5200-20200, GP Rs. 1900-Regarding.

As the Railways are aware, in terms of Board's letter No. E(NG)I-81/CR/5 dated 30.09.1981 Annual Confidential Reports (ACR) {now renamed as Annual Performance Appraisal Report (APAR)} are at present written by the reporting authority on every Non-gazetted Railway servant as per the procedure being narrated in the letter ibid, except the following Railway employees:-

Handwritten number: "29" inside a circle.


- (a) Grade 'D', now upgraded as Grade 'C'. railway servants in grade pay of Rs. 1800.
- (b) The Railway servants in Grade Pay Rs. 1900
- (c) Railway servants whose initial grade pay is higher than Rs. 1900 provided the next higher grade is a non-selection grade except in the case of highly skilled Artisan Staff for whom APAR shall be written for those in two grades below in selection grade.

2. Pursuant to directives of Hon'ble Central Administrative Tribunal (CAT)/Chandigarh dated 10.04.2013 delivered in O.A. No. 1346-PB-2011, and of Hon'ble High Court Punjab & Haryana at Chandigarh vide its judgment dated 18.09.2013 in CWP No. 20612 of 2013, the issue of initiation of APAR was considered by Railway Board for the left out categories mentioned above.

3. After consultation with the Railways [the] Board have considered the matter further. In partial modification of Board's letter No. E(NG)I-81/CR/5 dated 30.09.1981, it has now been decided that the concept of writing of APAR on all Non-gazetted Railway servants working in Group 'C' PB-I, 5200-20200 in Grade Pay Rs. 1900 & above be introduced on the zonal Railways. Consequently, APAR may henceforth be written for the categories mentioned in set (b) & (c). The proforma of APARs of these categories is enclosed herewith. For those in Grade Pay of Rs. 1800/-, the system of working reports as and when required will continue. The procedure of writing of APARs for those Railway servants for whom it is already written will remain unaltered.

Please acknowledge receipt.

DA: As above



Handwritten signature of Arvind Kumar
Executive Director Estt. (N)
Railway Board

APAR for Staff working in GP 1900/-

Assessment Year....

PART-A (PERSONAL DATA)

1. Name in full :
2. Date of birth :
3. Category (SC/ST/OBC/Genl.) :
4. Designation/Station at which employed :
5. Substantive/Officiating pay : Grade Pay:
6. Date of appointment to service :
7. Date of continuous appointment to the present grade pay :
8. Whether permanent/temporary :
9. Educational, Professional & Technical Qualifications :
10. Particulars of examination (including Departmental examination) passed during the year :

PART B-ASSESSMENT

1. Punctuality/regularity :
2. Leave taken during the year :
3. Integrity :
4. Attitude/Relation with colleague/Sr./Jr. :
5. Initiative :
6. commitment/Devotion/Sincerity :
7. Knowledge of profession :
8. Capacity to bear higher responsibility :
9. Capacity to work independently or need guideline /continuous guideline. :
10. Level of efficiency/Skill :
11. Any specific remarks :
12. Overall grading : Outstanding/Very good/Good/Average/
Below Average.

Signature of Reporting Officer
Name
Designation

Date:

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एनजी)1-2013/सीआर/1

नई दिल्ली, दिनांक 27/12/2014

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी भारतीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयां,
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- पे बैंड-1, 5200-20200/- रुपए, ग्रेड पे 1900/- रुपए में कार्यरत सभी रेल कर्मचारियों की एपीएआर लिखने का प्रावधान लागू करना।

जैसा की रेलों को विदित है, बोर्ड के दिनांक 30.09.1981 के पत्र सं. ई(एनजी)1-81/सीआर/5 के अनुसार इस समय, निम्नलिखित रेल कर्मचारियों को छोड़कर प्रत्येक अराजपत्रित रेलवे कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) {अब वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के रूप में पुनः नामित (एपीएआर)} पूर्वोक्त पत्र में दी गई प्रक्रिया के अनुसार रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा लिखी जाती है:-

- (क) ग्रेड 'डी', जिसे अब ग्रेड 'सी' में अपग्रेड कर दिया गया है, के वे रेल कर्मचारी जिनका ग्रेड पे 1800/- रुपए हो।
- (ख) ग्रेड पे 1900/- रुपए में कार्यरत रेल कर्मचारी।
- (ग) अत्यंत कुशल कारीगर कर्मचारियों के मामलों को छोड़कर जिनके लिए एपीएआर सेलेक्शन ग्रेड में दो ग्रेड नीचे के कर्मचारियों की भी लिखी जाएगी, ऐसे रेल कर्मचारी जिनकी प्रारंभिक ग्रेड पे 1900/- रुपए से अधिक हो परन्तु उनका अगला उच्चतर ग्रेड एक नॉन-सेलेक्शन ग्रेड हो।

2. माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट)/चंडीगढ़ द्वारा ओ. ए. सं. 1346-पीबी-2011 में दिनांक 10.04.2013 को और माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ द्वारा 2013 के सीडब्ल्यूपी सं. 20612 में दिनांक 18.09.2013 को दिए गए निर्णय में उल्लिखित निदेशों के अनुसरण में रेलवे बोर्ड द्वारा उपर्युक्त छूटी हुई कोटियों के लिए एपीएआर आरंभ करने के मुद्दे पर विचार किया गया।

3. रेलों से विचार-विमर्श करने के बाद बोर्ड द्वारा इस मामले पर आगे और विचार किया गया और बोर्ड के दिनांक 30.09.1981 के पत्र सं. ई(एनजी)।-81/सीआर/5 में आंशिक संशोधन करते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय रेलों पर 1900 रुपए और उससे अधिक ग्रेड पे में ग्रुप 'सी' पीबी-1, 5200-20200/- रुपए में कार्य करने वाले सभी अराजपत्रित रेल कर्मचारियों की एपीएआर लिखने की व्यवस्था आरंभ की जाए। परिणामस्वरूप, अब से सेट (ख) और (ग) में उल्लिखित कोटियों के लिए एपीएआर लिखी जाए। इन कोटियों के लिए एपीएआर का प्रोफार्मा इसके साथ संलग्न है। जब कभी अपेक्षित हो, ग्रेड पे 1800/- रुपए में कार्यरत कर्मचारियों की वर्किंग रिपोर्ट लिखने की पद्धति जारी रहेगी। उन रेल कर्मचारियों की एपीएआर लिखने की प्रक्रिया अपरिवर्तित रहेगी जिनकी एपीएआर पहले ही लिखी जा रही है।

कृपया पावती दें।



(अरविन्द कुमार)

कार्यपालक निदेशक स्था. (अराजपत्रित)

रेलवे बोर्ड

संलग्नक: यथोक्त

1900/- रुपए ग्रेड पे में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एपीएआर

मूल्यांकन वर्ष : _____

भाग-क (व्यक्तिगत विवरण)

1. पूरा नाम :
2. जन्म तिथि :
3. कोटि (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सा.) :
4. पदनाम/स्टेशन जहां नियुक्त हैं :
5. वास्तविक/स्थानापन्न वेतन :
6. सेवा में नियुक्त की तारीख :
7. वर्तमान ग्रेड पे में लगातार नियुक्ति की तारीख :
8. स्थायी/अस्थायी :
9. शैक्षणिक, व्यावसायिक और तकनीकी योग्यता :
10. वर्ष के दौरान पास की गई परीक्षा (विभागीय परीक्षा सहित) के विवरण :

भाग-ख (मूल्यांकन)

1. समयपालन/नियमितता :
2. वर्ष के दौरान ली गई छुट्टी :
3. सत्यनिष्ठा (यदि सतर्कता/अनुशासनिक मामला लंबित हो तो उल्लेख करें) :
4. सहकर्मियों/वरिष्ठ/कनिष्ठ कर्मियों के साथ व्यवहार :
5. पहल शक्ति :
6. प्रतिबद्धता/निष्ठा/ईमानदारी :
7. व्यवसाय का ज्ञान :
8. उच्चतर दायित्व वहन करने की क्षमता :
9. स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता अथवा मार्गदर्शन/निरंतर मार्गदर्शन की आवश्यकता :
10. क्या वर्ष के दौरान कोई दण्ड दिया गया है :
11. दक्षता/कौशल का स्तर :
12. कोई विशिष्ट अभ्युक्ति :
13. समग्र ग्रेडिंग : उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/औसत/औसत से नीचे

रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर एवं नाम

पदनाम

दिनांक: